राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–8)

क्रमांकः एफ 2(1)ग्रावि/अनु–8/2014/ जयपुर, दिनांक 31.08.2015

बैठक कार्यवाही विवरण

शासन सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित साप्ताहिक बैठक दिनांक 31.08.2015 में योजनाओं में वित्तीय प्रगति तथा योजना स्वीकृत करने की समीक्षा की गयी जो कि असंतोषजनक पायी गयी। इस संबंध में विभाग की योजनाओं में 90 प्रतिशत प्रगति अर्जित करने के लिए निम्न कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गयेः–

1. थर्ड पार्टी निरीक्षण के संबंध में दिनांक 24.8.15 को सांय 4.00 विभिन्न इन्जिनियरिंग कालेजों के साथ बैठक में लिये गये निर्णयानुसार कार्यवाही सम्पादित की जाए।
(एसई,आईएवाई)

2. इन्दिरा आवास योजना में कम प्रगति वाले पंचायत समिति के विकास अधिकारियों को चार्जसीट की कार्यवाही की प्रगति की समीक्षा की जाऐगी। इस हेतु पंचायतीराज से पत्रावली मंगवाकर ग्रामीण विकास विभाग के स्तर पर कार्यवाही शुरू की जाए।
योजना में वर्ष 2015–16 की सभी स्वीकृतियॉ 31 अगस्त 2015 तक जारी की जाए तथा दूसरी किश्त 31 दिसम्बर 2015 तक जारी किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
आवास योजना में उदयपुर सम्भाग के जिलों के साथ अलग से विडियों कॉन्फ्रेन्स की तारीख तय की जाए तथा पंचायत समिति स्तर पर पैन्डैन्सी की समीक्षा की जाए।
योजना में लोकसेवकों की सूची बीपीएल सूची से पुनः सत्यापित करके तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी से प्रमाण पत्र लेकर ही इसके लक्ष्यों को निर्धारित किया जायेगा।
(एसई, ग्रा.वि.)

3. सीएसआर के प्रस्ताव अविलम्ब शासन सचिव सीएसआर को भिजवाये जाए।
(योजना प्रभारी)

4. विभाग की आईडब्ल्यूएमएस वैबसाईट की अगले सप्ताह बैठक रखी जाये। साथ ही इस संबंध में बनाये जा रहे मोबाईल एप का प्रजेन्टेशन भी रखा जाए।
(पीडी,मोएवंमू)

5. डांग, मगरा, मेवात योजना में 20 प्रतिशत प्रस्ताव रिजर्व रखे है उसके संबंध में जिलों से प्राप्त प्रस्तावों को मा0 मंत्री महोदय को अनुमोदन हेतु भेजे यदि बाद में और प्रस्ताव प्राप्त होते है तो अलग से भेजे जा सकते है।
(अति0मुख्य अभि0 ग्रा.वि.)

6. डांग, मगरा, मेवात योजना में जो जिले स्वीकृति नहीं कर रहे है उन्हें नोटिस जारी किया जाये।
(अति0मुख्य अभि0 ग्रा.वि.)

7. दर निर्धारण समिति की बैठक शासन सचिव महो. के स्तर पर आयोजित की जाए।
(एसई, ग्रा.वि.)

8. ए– वित्तीय सलाहकार ऐसी ग्राम पंचायते (2722) जिनमें में टेण्डर प्रकिया पूर्ण नहीं हुई उनकी समीक्षा करें एवं उनके टेण्डर प्रकिया शीघ्र पूर्ण करायी जाए।
(वित्तीय सलाहकार)

बी– ग्राम पंचायतों में टेण्डर करने की तिथि इस प्रकार की जाए कि एक अप्रेल से पहले–पहले अंतिम सूची उपलब्ध रहने के संबंध में अधीक्षण अभियन्ता ग्रामीण विकास द्वारा अग्रिम कार्यवाही की जायेगी तथा इसकी पत्रावली मा0 मंत्री महोदय को भेजी जायेगी।

(एसई,ग्रा.वि.)

9. मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना में 167 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है। इनकी वर्कशाप आयोजित करायी जाए। एक बार में 100 से अधिक प्रतिभागी नहीं हो।

(पीडी,एसएपी)

10. लम्बित विधान सभा प्रश्नों के संबंध में निदेशक, डीएलबी, निदेशक समाज कल्याण, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जयपुर व अन्य तथा अन्य योजना प्रभारियों के साथ शासन सचिव महोदय की बैठक रखी जाए।

(17)

(योजना प्रभारी)

11. Secc-2011 का मा0 मंत्री महोदय को प्रस्तुतीकरण दिया जाए।

(योजना प्रभारी)

12. बीएडीपी में अब तक केवल 10 प्रतिशत स्वीकृतियॉ जारी हुई है। इस माह शतप्रतिशत स्वीकृति जारी की जाए। एफएस जारी करवाने के लिए शासन सचिव महो. की ओर से पत्र लिखवाया जाए।
13. भारत सरकार द्वारा बीएडीपी योजना में लगभग 40 करोड़ रूपये की अतिरिक्त राशि देने के लिए प्रस्ताव गये है। इसमें मोडल विलेज, विद्युतीकरण, स्कूलों का आधुनिकरण व अन्य कार्यो के प्रस्ताव बनाकर भारत सरकार को भेजे जाये।

(योजना प्रभारी)

14. सभी योजनाओं यथा डांग, मगरा, मेवात, स्वविवेक, गुरू गोलवलकर जनभागीदारी, एमपीलैड, एमएलए लैड, आईएवाई में 50 प्रतिशत राशि की स्वीकृतियॉ जारी की जाए। इसी प्रकार के आदेश शासन सचिव महो. की ओर से जारी कराये जाए।

(समस्त योजना प्रभारी)

15. योजनाओं में कम व्यय व अपर्याप्त स्वीकृतियों को गंभीरता से लिया है। सभी योजना प्रभारी एवं परियोजना अधिकारी को नोटिस जारी करेगें यदि नोटिस जारी नहीं किया जाता है तो संबंधित परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव को नोटिस जारी किया जायेगा।

(समस्त योजना प्रभारी)

9/9/15

परि0निदे0 एवं पदेन
उप सचिव (मोएवंमू)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रा.वि.एवं पं.राज विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रा.वि.विभाग।
3. संयुक्त शासन सचिव(प्रशासन) ग्रा.वि.विभाग।
4. वित्तीय सलाहकार, ग्रा.वि.विभाग।
5. परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव, एसएपी–एसएस, मोएवंमू ग्रा.वि. विभाग।
6. अति0 मुख्य अभियन्ता (सीएसएस) ग्रा.वि.विभाग।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बायोफ्यूल।
8. अधीक्षण अभियन्ता, आईएवाई/श्रीयोजना।
9. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास को प्रति प्रेषित कर लेख है कि उक्त बैठक के निर्देश वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

9-9-15

परि0निदे0 एवं पदेन उप सचिव (मोएवंमू)